

2025/991


फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
सावित्री बनाम भजनलाल आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 198 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
21.11.2025	<p>प्रार्थीया सावित्री की तरफ से वकील श्री करणीसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा कल्लासर के खाता सं. 239/57 के ख.नं. 372, 378, 393, 394, 460, 461 की 22.699 है. व कुलचासर के खाता सं. 130/116 के ख.नं. 101, 196, 197, 204, 207 की 11.321 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा गै.मु. रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 23.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	
23/12/2025	<p>वकील प्रार्थीया के द्वारा उपस्थित हुए साक्ष्य अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली 23/12/2025 को पेश हुई।</p>	
15.1.2026	<p>वकील प्रार्थीया के द्वारा उपस्थित हुए साक्ष्य अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली 15/01/2026 को पेश हुई।</p>	
27.1.2026	<p>वकील प्रार्थीया के द्वारा उपस्थित हुए साक्ष्य अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली 27/1/2026 को पेश हुई।</p>	
05/2/2026	<p>वकील प्रार्थीया के द्वारा उपस्थित हुए साक्ष्य अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली 05/2/2026 को पेश हुई।</p>	

पूर्ण विवरण सहित निर्णय शब्दा से लिखाया जाकर
शामिल फाइल ठिकी जावे। (प्रा.प.) नम्बर से
कम की जाकर डाकिल इकत हो।

७०
सहायक कलेक्टर एवं
सुपरण्ड अधिकारी
राजसमर